रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III — खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 2007/पौष 10, 1929
No. 235] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 2007/PAUSA 10, 1929

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2007

सं. एल-7/25(5)/2003-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2004 (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 है ।

(2) ये विनियम 7 जनवरी, 2008 के 00.00 घंटे से प्रवृत्त होंगे ।

2. विनियम 5 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 5 खंड के 3 के उप-खंड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि अनंतिम टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन करते समय, यथा लागू टैरिफ फाइल करने वाले प्ररुपों के प्ररुप 5ख, 5ग और 5घ के अधीन यथाविनिर्दिष्ट ब्यौरे फाइल करने आवश्यक नहीं होंगे ।"

3. विनियम 19 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 19 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**19. इंफर्म ऊर्जा की बिक्री** — इंफर्म ऊर्जा की अननुसूचित विनिमय (यूआई) के रूप में गणना की जाएगी तथा उसको लागू फ्रीक्वेंसी-लिंक्ड यूआई दर पर क्षेत्रीय/राजस्व यूआई पूल खाते के लिए संदत्त किया जाएगा । किसी उत्पादन कंपनी द्वारा इंफर्म ऊर्जा के विक्रय से किसी भी राजस्व को पूंजी लागत में कमी के लिए लागू किया जाएगा तथा इसे राजस्व के रूप में नहीं समझा जाएगा ।"

4. विनियम 24 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 24 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**24. अननुसूचित विनिमय (यू. आई.) प्रभार** :—(1) वास्तविक उत्पादन या वास्तविक निकासी तथा अनुसूचित उत्पादन या अनुसूचित निकासी के बीच होने वाले अंतर की गणना अननुसूचित विनिमय (यू.आई.) प्रभारों के माध्यम से की जाएगी । उत्पादन केन्द्र

के लिए यू.आई. इसके वास्तविक उत्पादन के बराबर होगा या इसके अनुसूचित उत्पादन से कम होगा । फायदाग्राही के लिए यू. आई. इसकी कुल वास्तविक निकासी के बराबर होगा या इसकी कुल अनुसूचित निकासी से कम होगा । यू. आई. प्रत्येक 15 मिनट के समय ब्लाक के लिए निकाला जाएगा । सभी यू. आई. संव्यवहारों के लिए प्रभार समय-ब्लाक की औसत फ्रिक्वेंसी पर आधारित होंगे और निम्नलिखित दरें लागू होंगी :

समय ब्लाक की औसत फ्रिक्वेंसी (एचज़ेड)		यू आई दर
निम्नलिखित से नीचे	निम्नलिखित से कम नहीं	(पैसा प्रति केडब्ल्यूएच)
—	50.50	0.0
50.50	50.48	8.0
50.48	40.46	16.0
—	—	—
—	—	—
49.84	49.82	272.0
49.82	49.80	280.0
49.80	49.78	298.0
49.78	49.76	316.0
—	—	—
—	—	—
49.04	49.02	982.0
		1000.0

(प्रत्येक 0.02 एचज़ेड स्टेप 50.5-49.8 एचज़ेड फ्रिक्वेंसी रेंज में 8.00 पैसे/केडब्ल्यूएच, और 49.5-49.0 एचज़ेड फ्रिक्वेंसी रेंज में 18.0 पैसे/केडब्ल्यूएच के बराबर है)

परंतु यह कि कोयला या लिग्नाइट फायरिंग वाले उत्पादन केंद्रों तथा केवल एपीएम गैस से चलने वाले केंद्रों की दशा में, यूआई दर 10.6 से प्रति केडब्ल्यूएच पर होगी जब वास्तविक उत्पादन अनुसूचित उत्पादन से अधिक हो ।

टिप्पण :

उपरोक्त औसत फ्रिक्वेंसी रेंज और यू. आई. दरें आयोग द्वारा पृथक् अधिसूचना के माध्यम से परिवर्तन के अध्यधीन हैं ।

5. **विनियम 35 का संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 35 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"35. **इंफर्म ऊर्जा की बिक्री** : इंफर्म ऊर्जा की अननुसूचित अंतर्विनिमय (यूआई) के रूप में गणना की जाएगी तथा उसको लागू फ्रीक्वेंसी-लिंक्ड यूआई दर पर क्षेत्रीय/राजस्व यूआई पूल खाते के लिए संदत्त किया जाएगा । किसी उत्पादन

कंपनी द्वारा इंफर्म ऊर्जा के विक्रय से किसी भी राजस्व को पूंजी लागत में कमी के लिए लागू किया जाएगा तथा इसे राजस्व के रूप में नहीं समझा जाएगा ।"

6. **विनियम 42 का संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 42 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"42. **अननुसूचित विनिमय (यू. आई.) प्रभार :** (1) वास्तविक उत्पादन या वास्तविक निकासी तथा अनुसूचित उत्पादन या अनुसूचित निकासी के बीच होने वाले अंतर की गणना अननुसूचित विनिमय (यू.आई.) प्रभारों के माध्यम से की जाएगी । उत्पादन केन्द्र के लिए यू.आई. इसके वास्तविक उत्पादन के बराबर होगा या इसके अनुसूचित उत्पादन से कम होगा । फायदाग्राही के लिए यू. आई. इसकी कुल वास्तविक निकासी के बराबर होगा या इसकी कुल अनुसूचित निकासी से कम होगा । यू. आई. प्रत्येक 15 मिनट के समय ब्लाक के लिए निकाला जाएगा । सभी यू. आई. संव्यवहारों के लिए प्रभार समय-ब्लाक की औसत फ्रिक्वेंसी पर आधारित होंगे और निम्नलिखित दरें लागू होंगी :

समय ब्लाक की औसत फ्रिक्वेंसी (एचज़ेड)		यू आई दर
निम्नलिखित से नीचे	निम्नलिखित से कम नहीं	(पैसा प्रति केडब्ल्यूएच)
—	50.50	0.0
50.50	50.48	8.0
50.48	40.46	16.0
—	—	—
—	—	—
49.84	49.82	272.0
49.82	49.80	280.0
49.80	49.78	298.0
49.78	49.76	316.0
49.04	49.02	982.0
49.02	—	1000.0

(प्रत्येक 0.02 एचज़ेड स्टेप 50.5-49.8 एचज़ेड फ्रिक्वेंसी रेंज में 8.00 पैसे/केडब्ल्यूएच, और 49.8-49.0 एचज़ेड फ्रिक्वेंसी रेंज में 18.0 पैसे/केडब्ल्यूएच के बराबर है)

टिप्पण :

उपरोक्त औसत फ्रिक्वेंसी रेंज और यू. आई. दरें आयोग द्वारा पृथक् अधिसूचना के माध्यम से परिवर्तन के अध्यधीन हैं ।

(i) हाइड्रो इलैक्ट्रिक उत्पादन केंद्रों से ग्रिड फ्रीकेंसी परिवर्तनों तथा अंतरवा उतार-चढ़ाव को दिखाने की आशा की जाती है । अतः वे दी गई अनुसूची से विचलन के लिए स्वतंत्र होंगे जिससे वे गेमिंग न कर सकेंगे तथा ग्रिड पर दवाब न बढ़ा सकेंगे । इसके परिणामस्वरूप, प्रत्येक दिन पर हाइड्रो इलैक्ट्रिक उत्पादन केंद्र द्वारा प्रदाय की गई कुल

वास्तविक ऊर्जा में उस दिन के लिए अनुसूचित ऊर्जा (एक्स बस) से अंतर हो सकेगा । विनियम 45 के खंड (xix) में यथावर्णित (दिन+3) के लिए अनुसूची में प्रतिकर संबंधित भार प्रेषण द्वारा लिया जाएगा ।

(ii) संबंधित भार प्रेषण केंद्र आवधिक रूप से यह जांच करेगा कि उत्पादन केंद्र वास्तविकता से क्षमता तथा ऊर्जा की घोषणा कर रहा है तथा यूआई के माध्यम से अनुचित धन प्राप्त करने के लिए घोषणा करने में छल नहीं कर रहा है ।

7. **विनियम 45 का संशोधन** (1) मूल विनियम के विनियम 45 के खंड (xii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(xii) उत्पादक (उत्पादकों) द्वारा घोषित क्षमता तथा ऊर्जा का पुनरीक्षण तथा इनके शेष भाग के लिए फायदाग्राही (फायदाग्राहियों) द्वारा अध्यपेक्षा को केवल आकस्मिकता की दशा में ही अनुज्ञात किया जाएगा । ऐसे मामलों में पुनरीक्षित अनुसूचियों/घोषित क्षमता छठे समय - ब्लाक से प्रभावी हो सकेगी तथा जिसकी गणना उस समय ब्लाक में की जाएगी जिसमें प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र को एक बार पुनरीक्षण का अनुरोध प्राप्त हो गया हो ।"

(2) मूल विनियम के विनियम 45 के खंड (xviii) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

" (xix) हाइड्रो इलैक्ट्रिक उत्पादन केंद्र के लिए संबंधित भार प्रेषण केंद्र द्वारा अंतिम रूप से तैयार की गई अनुसूची सामान्यतः ऐसी होगी कि वास्तविक दिन के लिए अनुसूचित ऊर्जा उस दिन को उपलब्ध होने वाली प्रत्याशित कुल ऊर्जा (एक्स् बस) हो, जैसा उपलब्ध/छोड़े गए अनुमानित/योजनाबद्ध जल के आधार पर उत्पादन केंद्र द्वारा घोषित किया गया हो । यह भी आशा की जाती है कि उस दिन को उत्पादन केंद्र द्वारा वास्तविक रूप से प्रदाय की गई संपूर्ण कुल ऊर्जा घोषित कुल ऊर्जा के बराबर होगी जिससे कि जल छोड़े जाने की अपेक्षा को पूरा किया जा सके । अनुसूची से 15 मिनटवार अंतर को अननुसूचित विनिमय (यूआई) के रूप में माना जाएगा । सपूर्ण दिन, यदि कोई हो, के लिए कुल ऊर्जा अंतर को नीचे सिद्धांत में यथावर्णित के लिए अतिरिक्त रूप से गणना में लिया जाएगा

सिद्धांत

माना दिन 1 के लिए अनुमानित/प्रत्याशित कुल ऊर्जा (एक्स् बस) E^1 है, अनुसूचित ऊर्जा एस 1 है तथा वास्तविक कुल ऊर्जा (मीटिरित) ए1 है तो सभी एक्स बस एमडब्ल्यूएच में है । माना उत्पादक द्वारा यथाघोषित दिन4 के लिए प्रत्याशित ऊर्जा उपलब्धता E_4 है तब दिन 4 के लिए अनुसूची ऐसी रीति से निकाली जाएगी कि दिन 4 के लिए अनुसूचित ऊर्जा निम्नलिखित रूप में होगी ।

एस4 = ई4 + (ए1 - ई1),

इसी प्रकार, एस 5 = ई5 + (ए2-ई2),

एस6 = ई6 + (ए3-ई3),

एस7 = ई7 + (ए4-ई4) और इत्यादि ।"

के. एस. ढींगरा, प्रमुख (विधि)

[विज्ञापन III/IV/असा./150/07]

टिप्पण :

मूल विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग-3, खंड 4 में तारीख 29.3.2004 को अधिसूचित किए गए थे और समय-समय पर निम्नानुसार संशोधित किए गए थे :

(i) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 3, खंड 4, तारीख 9.9.2004 को अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोज (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2004 ।

(ii) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 3, खंड 4, तारीख 25.8.2005 को अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोज (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2005 ।

(iii) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 3, खंड 4, तारीख 8.6.2006 को अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोज (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2006 ।

(iv) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 3, खंड 4, तारीख 14.3.2007 को अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोज (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2007 ।

(v) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 3, खंड 4, तारीख 27.4.2007 को अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोज (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (दसरा संशोधन) विनियम, 2007 ।

(vi) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 3, खंड 4, तारीख 1.10.2007 को अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोज (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2007 ।